भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 389

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के गठन में हो रहा विलंब

***389. श्री ए. के. सेल्वाराजः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सनदी लेखाकारों पर निगरानी रखने के लिए नई एजेंसी को अधिसूचित करने की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पांच वर्ष पहले अधिनियमित किए गए नए कंपनी अधिनियम में राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के गठन का उपबंध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण का गठन नहीं किए जाने के कौन-कौन से कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के गठन में हो रहे विलंब के संबंध में दिनांक 03.04.2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 389 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 132 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन का प्रावधान है। वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन उस समय विचार किए जा रहे विभिन्न अन्य नियमों के साथ-साथ इस धारा से संबंधित प्रारूप नियमों को भी तैयार किया गया और जनता से परामर्श किया गया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा व्यक्त आपत्तियों और आशंकाओं को देखते हुए, यह निर्णय किया गया कि इस निकाय का गठन आईसीएआई के परामर्श सहित संबंधित मुद्दों पर विचार करने उनका समाधान करने के बाद किया जाए। इस मामले पर जून, 2015 के दौरान गठित कंपनी विधि समिति द्वारा, जिसने फरवरी, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा माननीय वित्त संबंधी संसदीय समिति (जिसने कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की जांच की) द्वारा भी विचार किया गया। पर्याप्त जांच और अपेक्षित अनुमोदनों के बाद, सरकार ने 28 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन करने और एनएफआरए के लिए अध्यक्ष का एक पद, पूर्णकालिक सदस्यों के तीन पद और सचिव का एक पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इस अधिनियम की धारा 132 की उप धारा (3) और (11) के प्रावधान तथा एनएफआरए (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का तरीका और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2018 दिनांक 21.03.2018 से प्रवृत्त किए गए हैं।

*****